

## यूनफाइड इंडिया आर्गेनिक लोगो

[स्रोत: बज़िनेस लाइन](#)

[भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण \(FSSAI\)](#) तथा [कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण \(APEDA\)](#) ने संयुक्त रूप से [इंडिया आर्गेनिक और आर्गेनिक इंडिया लोगो के स्थान पर "यूनफाइड इंडिया आर्गेनिक"](#) लोगो विकसित किया है।

- नवीन लोगो [राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम \(NPOP\)](#) और [FSSAI](#) द्वारा भारतीय वनियमों के कार्यान्वयन में [एकरूपता एवं अभिसरण](#) लाने हेतु विकसित किया गया है।
- [इंडिया आर्गेनिक लोगो](#) का उपयोग [NPOP का अनुपालन करने](#) वाले जैविक उत्पादों पर किया गया था, जबकि [आर्गेनिक इंडिया/जैविक भारत](#) का उपयोग [FSSAI द्वारा प्रमाणित जैविक उत्पादों](#) पर किया गया था।
- प्रमाणन नकियों को कार्यान्वयन के लिये [तीन माह](#) का संक्रमण समय मलिया, जो लोगो को अधिसूचित किये जाने की तथिसे प्रदान किया जाएगा।
- [FSSAI](#) एक [स्वायत्त वैधानिक निकाय](#) है, जिसकी स्थापना [खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006](#) के तहत की गई है।
  - यह भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को वनियमित करके [सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण तथा संवर्द्धन](#) के लिये ज़िम्मेदार है, जो [स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय](#) के अधीन कार्य करता है।
- [APEDA](#) [वाणज्य एवं उद्योग मंत्रालय](#) के अधीन कार्य करता है, जो [अनुसूचित उत्पादों जैसे फल, सब्ज़ियों आदि के निर्यातसंवर्द्धन एवं विकास](#) के लिये ज़िम्मेदार है।

और पढ़ें: [FSSAI, APEDA, Organic Food Regulatory System in India, FSSAI, APEDA, भारत में जैविक खाद्य नियामक प्रणाली](#)